राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.1 (4) वित्त/साविलेनि/2006 पार्ट–I जयपुर, दिनांक : 22.12.2016

परिपत्र

राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि भारत सरकार द्वारा रुपये 1000 एवं रुपये 500 के पुराने नोटों का विमुद्रीकरण करने के फलस्वरूप राजस्थान सरकार के कतिपय राजकीय कार्यालयों में विमुद्रित (दिनांक 8.11.2016 के बाद बंद हो चुके) 500/– एवं 1000/– रुपये के पुराने नोटों के रूप में अवशेष स्थायी अग्रिम/इम्प्रेस्ट, ए.सी.बिल आदि की राशि के जमा के संबंध में दिक्कतें व भ्रम हो रहे हैं। इस संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :–

(1) सभी कार्यालयाध्यक्ष/आहरण–वितरण अधिकारी उनके पास उपलब्ध उक्त विमुद्रित 500 व 1000 रुपये की स्थायी अग्रिम/इम्प्रेस्ट की अवशेष राशि को बजट मद '8672-Permanent Cash Imprest-101 Civil Advances' (जिसमें से नियमानुसार मूल राशि का आहरण किया गया था, उसी बजट मद) में चालान द्वारा यथा शीघ्र जमा कराएंगे।

(2) अप्रचलित विमुद्रित राशि के नोट राजकोष में जमा कराने के उपरांत सभी कार्यालयाध्यक्ष/ आहरण–वितरण अधिकारी सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–I के नियम 212 एवं सहपठित भाग–III के पार्ट–I के आइटम 7 के अध्यधीन उनको पूर्व में अधिकृत/अनुमत इम्प्रेस्ट राशि का भाग–I के नियम 309 में उल्लेखित बजट मद से नियमानुसार आहरित कर सकते हैं। यह राशि विमुद्रित हो चुकी जमा कराई गई राशि के बराबर होगी जिससे पूर्व में स्वीकृत स्थायी अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति हो जावेगी।

(3) कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी जिनके पास ए.सी. बिल के द्वारा आहरित नकद राशि में 1000 या 500 की अप्रचलित विमुद्रित राशि के नोट अवशेष हैं, उस अप्रचलित विमुद्रित राशि को नियमानुसार राजकोष में (संबंधित बजट हैड में) जमा कराकर, यदि आवश्यक हो तो, जमा करायी गयी राशि के बराबर राशि नियमानुसार ए.सी. बिल से पुनः आहरित कर सकेंगे।

.....2

GFRRules

(4) राजकीय कार्यालयों द्वारा जमा करायी जाने वाली विमुद्रित राशि की विगत निम्नलिखित प्रोफार्मा में चालान की कार्यालय प्रति के साथ रखी जावे :

क्र.सं.	**नोट का नम्बर**	**नोट की राशि (denomination)**

(नवीन महाजन)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त अति. मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव/समस्त विशिष्ट शासन सचिव।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. समस्त उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
8. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
9. महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा)/(ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त ।
11. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
12. समस्त कोषाधिकारी।
13. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
14. अतिरिक्त निदेशक, वित्त विभाग को भेजकर लेख है कि कृपया इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।

22/12/16
(रामावतार शर्मा)
शासन संयुक्त सचिव

GF&AR - 16/2016